

ANNEXURE-A

APPLICATION FOR OBTAINING INFORMATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

To
The Central Public Information Officer,
Khadi & Village Industries Commission
3rd Irla Road, Vile Parle(West)
MUMBAI-400 056

1.	Name of the Applicant	:	
2.	Address for Communication	:	
3.	Details about the information sought for:	:	
A)	Subject	:	
B)	The information related for the period (year/month etc.)	:	
C)	Description of the	:	
D)	Whether the information is intended to collected personally OR	:	
E)	The information required by posts. If so, by 1. Ordinary Post 2. Registered Post 3. Speed Post	:	
4.	Whether the applicant is belonging to Below Poverty Line category	:	Yes/No
5.	If belongs to Below poverty Line category. The details of the certificate issued by the competent authority (Certified copy must be enclosed along with the application)	:	

SIGNATURE OF THE APPLICANT

Place :

Date:

- N.B:**
1. In complete application will not be entertained
 2. The application without the application fee will not be entertained.
 3. The applicant belonging to Below poverty line category is exempted from application fee and other charges.
 4. The certified copy of the Certificate from the competent authority must be accompanied if the exemption is sought for else the application will be rejected.

सूचना प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय,
3, इर्ला रोड, विलेपार्ले, (प०),
मुंबई - 400 056.

1)	आवेदक का नाम	:	
2)	संपर्क के लिए पता	:	
3)	चाही गई सूचना संबंधी ब्यौरा	:	
अ)	विषय	:	
ब)	(वर्ष/माह आदि) सूचना से संबंधित अवधि	:	
स)	सूचना का विवरण	:	
द)	सूचना व्यक्तिगत चाही गई है अथवा	:	
य)	सूचना डाक द्वारा अपेक्षित है यदि ऐसा है, तो - 1) साधारण डाक से 2) पंजीकृत डाक से 3) स्पीड पोस्ट से	:	
4)	क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे संवर्ग में आता है ?	:	हां/नहीं
5)	यदि गरीबी रेखा से नीचे संवर्ग में आता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का ब्यौरा (आवेदन के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

नोट करें:

01. पूरी तरह से न भरे हुए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
02. आवेदन शुल्क के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
03. गरीबी रेखा से नीचे संवर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क और अन्य प्रभार से छूट है।
04. यदि छूट चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक संलग्न करें अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।